



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-30062021-228001
CG-DL-W-30062021-228001

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 20] नई दिल्ली, जून 20 - जून 26, 2021, शनिवार/ ज्येष्ठ 30 - आषाढ़ 5, 1943
No. 20] NEW DELHI, JUNE 20 - JUNE 26, 2021, SATURDAY/ JYAISTHA 30 - ASHADHA 5, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 मई, 2021

सा.का.नि. 60 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और क्षेत्रीय कुछ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का (प्रयोगशाला तकनीकी) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, क्षेत्रीय कुछ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, उड़ीसा में प्रयोगशाला तकनीकी पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, ओडिसा, प्रयोगशाला तकनीकी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रयोगशाला तकनीकी	01* (2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसूचित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,

					मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, संघ शासित क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप और लद्दाख के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक डिग्री जिसमें रसायन विज्ञान या जन्तु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र धारित करता हो। वांछनीय: समरूप हैसियत में कम से कम दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति ऐसे प्रयोगशाला सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3(21700-69100 रु.) में उनकी नियमित नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का -अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का - सदस्य 3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या शल्य चिकित्सक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का -सदस्य 4. उस क्षेत्र में केन्द्रीय या राज्य के किसी अन्य कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकारी -सदस्य समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का -अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का - सदस्य 3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या शल्य चिकित्सक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का -सदस्य 4. उस क्षेत्र में केन्द्रीय या राज्य के किसी अन्य कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं ए-12018/36/2018-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 31st May, 2021

G.S.R. 60 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska (Laboratory Technician) Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Technician in the Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, Odisha, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, Odisha, Laboratory Technician (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laboratory Technician	1*(2021) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group – ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-5 in the pay matrix (Rs.29,200-92,300)	Non-selection	Between 18 and 25 years. Relaxable for the Government servants upto forty years in case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date

					prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep and Ladakh. Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date of determining the age-limit shall be the last date up to which Employment Exchange is asked to submit the names.
--	--	--	--	--	--

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 1. Bachelor Degree in Science with Chemistry or Zoology or Botany as one of the subjects from a recognised University. 2. Diploma or Certificate in Medical Laboratory Technology from a recognised institute. Desirable: Experience for a minimum period of two years in similar capacity. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of competent authority in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years	By promotion failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Promotion from Laboratory Assistant with ten years of service in Level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) rendered in the grade after regular appointment thereto.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:— (1) Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska – Chairman; (2) Chief Medical officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska – Member; (3) Senior Medical officer or Surgeon, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska – Member; (4) A Gazetted officer from another Central or State Government office in the area – Member. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— (1) Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska – Chairman; (2) Chief Medical officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska – Member; (3) Senior Medical officer or Surgeon, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska – Member; (4) A Gazetted officer from another Central or State Government office in the area – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/36/2018-Lep]

SHORAN SINGH, Under Secy.